भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2484
दिनांक 11.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पुरी में जल आपूर्ति परियोजनाएँ

2484 श्री शुभाशीष खुंटियाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुरी में 24x7 पाइप जलापूर्ति उपलब्ध कराई गई है;
(ख) पुरी जिले के परिनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कवरेज की स्थिति क्या है;
(ग) पेयजल की गुणवत्ता और फ्लोराइड/लवणता परीक्षण की स्थिति क्या है;
(घ) रथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) तटीय क्षेत्रों के समीप अपशिष्ट जल उपचार हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से ओडिशा के पुरी जिले के ग्रामीण परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) की पर्याप्त मात्रा (55 एलपीसीडी) में पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है।

ओडिशा के पुरी जिले में, 15.08.2019 तक, केवल 2,169 ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से, जिले में लगभग 2.42 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 08.08.2025 तक, जिले के 3.22 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2.44 लाख (75.78%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को बैंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो फ्लोराइड और टीडीएस/लवणता सहित पेयजल गुणवत्ता के लिए विभिन्न भौतिक-रासायनिक और जीवाणु संबंधी पैरामीटरों के लिए वैकल्पिक स्रोत के अभाव में 'स्वीकार्य सीमा' और 'अनुमेय सीमा' विनिर्दिष्ट करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पीने के पानी के नमूनों का संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए सक्षम बनाने हेतु एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 25 जून 2015 को चयनित 500 शहरों (15 विलय शहरों सहित 485 शहरों) तथा तटीय क्षेत्रों सहित देश भर के शहरों में शुरू किया गया था। यह मिशन चयनित शहरों और नगरों में, जल आपूर्ति के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; तूफानी जल की निकासी; हरित स्थान और पार्क; तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन पर केंद्रित है। इसके अलावा, अमृत 2.0 पहल के तहत, एमओएचयूए का उद्देश्य परिवारों को गुणवत्तापूर्ण नल से पेय (डीएफटी) की 24x7 जल आपूर्ति सुनिश्चित करके शहरों को "जल सुरक्षित" बनाना है। इस मिशन के भाग के रूप में, राज्यों को प्रत्येक अमृत शहर के अंदर एक जिला मीटर्ड एरिया (डीएमए) या वार्ड में कम से कम एक डीएफटी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब तक, ओडिशा राज्य में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 463.90 करोड़ रुपए की कुल 48 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। तथापि, ओडिशा राज्य ने अमृत 2.0 के अंतर्गत पुरी जिले में कोई 24x7 जल आपूर्ति परियोजना शुरू नहीं की है।

अमृत के अंतर्गत 34,446.64 करोड़ रुपये की लागत वाली 890 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं का कार्य ज़मीनी स्तर पर प्रगति पर है, जिनमें से 32,839.25 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं। अब तक 4,622 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई या संवर्धित) सृजित की गई है, जिसमें से 1,437.56 एमएलडी क्षमता पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए विकसित की गई है। अमृत 2.0 के तहत अब तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 68,461.77 करोड़ रुपये की 586 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अनुमोदित परियोजनाओं में 6,964 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धन) शामिल है, जिसमें से 1,938.96 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए है।

केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, सीपीएचईईओ, के मानदंड एसटीपी के डिजाइन, संचालन और रखरखाव के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। इनमें यह

सुनिश्चित किया गया है वे पर्यावरण मानकों को पूरा करते हैं और टिकाऊ जल प्रबंधन में योगदान देते हैं।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम-जी] पहल में नाले के समाप्ति स्थल पर समाधानों को शामिल किया गया है ताकि तटीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रेवाटर का प्रभावी प्रबंधन और निपटान सुनिश्चित किया जा सके। एसबीएम-जी नाले के समाप्ति स्थल पर अपशिष्ट जल के सुरक्षित शोधन और निपटान को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ बंद नालियों या छोटे-बोर की प्रणाली को अपनाने को बढ़ावा देता है। एसबीएम (जी) का चरण-II 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है और सभी गांवों को ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ग्रेवाटर प्रबंधन सहित) से कवर करके अर्थात गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) में परिवर्तित करना है।
